KPMG

लैमनग्रास

सुगंध से समृद्धि की ओर

लैमनग्रास की सामूहिक सहकारी खेती एवं मूल्य सवंर्धन
लालढ़ांग साधन सहकारी समिति हरिद्वार की एक नई पहल...

लैमनग्रासः एक लाभदायी सगंधि पौधा

साधारण नाम

लैमनग्रास, नींबू घास

वानस्पतिक नाम

सिम्बोपोगोन फ्लेक्सओसस

प्रमुख प्रजातियां

कृष्णा, सी.के.पी.–25, नीमा, कावेरी, एन.एल.जी. 84, ओ.डी. 410, बली अरून

लैमनग्रास (cymbopogon) घास परिवार का पौधा है। इसके लिए उष्ण, समशीतोष्ण तथा उच्च आर्द्रता वाली जलवायु उपयुक्त है। इसकी खेती समुचित जल निकास वाली रेतीली दोमट से लेकर उपजाऊ, अन उपजाऊ, क्षारीय, बंजर, बेकार भूमि और खेतों की मेड़ों पर की जा सकती है। लेकिन इसकी सर्वोत्तम खेती पी.एच. 6.5–7.0 वाली जीवांशयुक्त दोमट मिट्टी पर ली जाती है। इसकी पत्तियां लम्बी, लगभग 150 सेमी. लंबी और 1.7 सेमी. चौड़ी होती हैं। इस पौधे की ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक होती है। यह भूमि क्षरण की रोकथाम हेतु उपयुक्त फसल है। इसे ढ़लानों पर उगाकर मिट्टी कटान रोका जाता है। भारत में इसकी खेती 100 साल पहले शुरू हुई। वर्तमान में उत्तरप्रदेश, केरल, तमिलनाडू, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इसकी व्यावसायिक खेती प्रमुखता से की जा रही है। यह एक बहुवर्षीय पौधा है। आसवन (distillation) की प्रक्रिया के बाद लैमनग्रास से सुगंधित तेल निकाला जाता है। इस पौधे की पत्ती में नींबू जैसी एक खास खुशबू होती है, जिसका उपयोग खाना बनाने, हर्बल, कई तरह की पाचक दवाओं और ब्लडप्रैशर आदि के ईलाज में किया जाता है। अरोमाथेरेपी में इसका तेल तनाव, चिंता व डिप्रैशन आदि बीमारियों से मुक्ति में लाभदायी है। इसमें सिट्रॉल नामक रासायनिक अवयव 75 से 85 % तक मिलता है। विश्व के कुल सिट्राल उत्पादन का 85% भारत में होता है। रासायनिक बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 3,000 हैक्टेयर क्षेत्र में लैमनग्रास उगाई जाती है। इससे लगभग 300–350 टन उत्पादन होता है। इसकी बहुउपयोगिता देखते हुए देश में इसकी खेती का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

लैमनग्रास की बहुउपयोगिता

लैमनग्रास की पत्ती से तेल और ओलियोरेसिन निकाला जाता है, जिसका उपयोग उद्योगों में विभिन्न उत्पादों के निर्माण में निम्नानुसार है–

- साबुन, इत्र, सुगंधित द्रव्य, फर्श की सफाई करने वाले द्रव्यों के निर्माण में प्रयुक्त।
- इसका तेल मांसपेशियों, जोड़ों, दांत दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, सरदर्द आदि को दूर करने में मददगार है। यह मुहांसों को बनने से रोकता है। यह मांसपेशियों और शरीर के उत्तकों को मजबूत करने में

उपयोगी है। यह त्वचा में सूजन को कम करता है। साथ ही बालों के लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक है। लेमनग्रास का उपयोग एरोमाथेरेपी में भी होता है। सुगंधित मोमबत्तियां बनाने में भी यह तेल प्रयोग किया जाता है। तेल की औषधीय उपयोगिता होने के कारण इसकी मांग बढ़ रही है।

- लैमनग्रास में मिलने वाला सिट्रोनेला रसायन एक प्रभावी जैव कीटनाशी है। इसकी गंध कीड़े–मकोड़ों को दूर भगाने में उपयोगी है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और पालतू जानवरों में जूं, मक्खियों और पिस्सू भगाने में मददगार है।
- लैमनग्रास तेल अम्लीय न होने के कारण इसका उपयोग नींबू के स्थान पर खाने–पीने की चीजों में किया जाता है। इसमें न केवल नींबू का स्वाद है बल्कि यह विटामिन 'ए' का बहुत अच्छा स्त्रोत है। यह वसा पाचन में उपयोगी है। लैमनग्रास को ताजा या सुखाकर उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग पेय पदार्थों, डेयरी उत्पादों, सूप, करी एवं एशियन व थाई रसोईयों में बहुतायत में होता है।
- लैमनग्रास से प्राप्त ओलियोरेसिन की उपस्थिति के कारण ही इसमें खुशबु होती है। इसको अलग करने के बाद इसका उपयोग खाद्य, पेय, बेकरी व चाय में खुशबु लाने के लिए किया जाता है।
- लैमनग्रास से तेल निकालने के बाद बची हुई घास बहुत अच्छा चारा है। यह फसलों की खाद बनाने में प्रयोग होती है। साथ ही कागज और गत्ते के निर्माण में सैल्युलोज के स्त्रोत के तौर पर भी प्रयोग की जाती है।
- यह तेल विटामिन 'ए' बनाने में प्रयोग किया जाता है।

लैमनग्रास की खेती लाभकारी क्यों?

- फसल बहुवर्षीय होने के कारण हर साल बुवाई की जरूरत नहीं।
- एक बार रोपाई के बाद 5 साल तक फसल प्राप्त की जा सकती है।
- फसल में खरपतवार की समस्या की अपेक्षाकृत कम संभावना।
- फसल को जानवर नहीं चरते हैं।
- फसल की बाजार में निरंतर मांग एवं अच्छे दामों पर बिक्री।
- पारंपरिक फसलों की तुलना में लैमनग्रास अधिक लाभकारी।

लैमनग्रास के प्रमुख रासायनिक अवयव

लैमनग्रास तेल	
तेल प्रतिशत	20–40%
मुख्य घटक	सिट्रल
लैमनग्रास ऑयल की संरचना	
सिट्रल	70%
लिनालूल	1.34%
गेरानियोल	5.00%
सिट्रोनेलाल, नेरोल	2.20%

सिट्रोनेलाल	0.37%
लिनालयल एवं जिरेनायल ऐसीटेट	1.95%
α-पायनीन	0.24%
लाइमोनीन	2.42%
कैरियोफिलीन, β-पिनीन, β-थुजीन, मायरसीन	0.46%
β.ओसीमीन	0.06%
टेरपेनोलीन	0.05%
मिथाइल हेप्टोनोन	1.50%
α-टरपिनियोल	0.24%

लैमनग्रास की खेती कैसे करें?

- फसल अवधि

  यह बहुवर्षीय फसल है, जो रोपाई के 6 माह बाद से 4–5 साल तक लगातार उत्पादन देती है।

- मिट्टी एवं जलवायु

  यह समुद्र तल से 900–1250 मीटर की ऊंचाई पर अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके लिए समशीतोष्ण, उच्च आर्द्रता वाली जलवायु और 25–30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त है।

- फसल प्रर्वधन

  इसको स्लिप्स (मुख्य जड़ के साथ उगने वाली महीन–महीन जड़ें) के द्वारा फैलाया जाता है। 1 साल पुराने स्लिपस को अलग–अलग कर इनकी हरी, नीचे की सूखी पत्तियों व लंबी जड़ों को काटकर अलग किया जाता है। फसल की रोपाई हेतु मई–जुलाई उपयुक्त समय है। ढ़लानों पर वर्षा ऋतु में रोपाई होती है। पौधों को 6 इंच की गहरी नालियां बनाकर रोपा जाता है। नालियों की दूरी 60 सेमी. होनी चाहिए। 1 बीघा में 5000 स्लिप्स लगती हैं।

- खाद एवं उर्वरक

  8–10 कुंतल गोबर की खाद, एन.पी.के. 12–15 किग्रा. प्रति बीघा खेत की तैयारी के वक्त डालते हैं। 15 किग्रा. यूरिया का प्रति बीघा प्रति साल खड़ी फसल पर समय–समय पर 3 बार छिड़काव होता है।

- सिंचाई

  अच्छी उपज एवं गुणवत्तायुक्त तेल हेतु मिट्टी का नम होना जरूरी है। साल में 5–6 सिंचाई जरूरी लेकिन वर्षा आधारित खेती वाली जमीन हेतु 2–3 सिंचाई काफी हैं।

- कटाई

  पहली कटाई रोपण के 4–5 माह बाद एवं अगली कटाई 3 माह के अंतराल में करनी चाहिए। कटाई भूमि की उर्वरता व सिंचाई की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। उपजाऊ भूमि में 3–4 तथा बारानी भूमि में 2–3 कटाईयां की जा सकती हैं। लेमनग्रास की प्रति बीघा उपज सिंचित भूमि में 18.5 क्विंटल प्रति बीघा है।

- आसवन

  लैमनग्रास की फसल का आसवन जल वाष्प विधि द्वारा किया जाता है। फसल को एक दिन धूप में सुखाकर आसवन करना चाहिए। आसवन प्रक्रिया 5–6 घंटे में पूरी होती है।
- औसत तेल उपज

  सिंचित भूमि में 22–25 किग्रा. प्रति बीघा प्रति साल

  असिंचित भूमि में 14–15 किग्रा प्रति बीघा प्रति साल

लैमनग्रास की विश्व में मांग

भारत विश्व में लैमनग्रास का सबसे बड़ा उत्पादक है। कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत निर्यात होता है। इसकी बहुआयामी उपयोगिता के कारण इसका बाजार बढ़ता ही जा रहा है। सिट्रोनेला तेल की कीटनाशकता व सगंध आदि में उपयोग के कारण बाजार में इसकी मांग बढ़ी है।

उत्तराखंड में लैमनग्रास की खेती

उत्तराखंड की जलवायु संगधित और हर्बल पौधों के उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। राज्य में संगध पौध केंद्र–कैप और केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान–सीमैप इस फसल को बढ़ावा देने को कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी एवं कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत है। एम.पैक्स का गठन करके उनको कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियों के लिए एक व्यावसायिक इकाई के तौर पर विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में परियोजना द्वारा हरिद्वार जनपद की लालढ़ांग एम.पैक्स को लैमनग्रास की सामूहिक सहकारी खेती कर वहां पर आसवन इकाई की स्थापना करके लैमनग्रास की मूल्यवर्धन की योजना पर काम किया जा रहा है।

UKCDP में लैमनग्रास की सामूहिक सहकारी खेती

उत्तराखंड सहकारिता विभाग UKCDP के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परियोजना में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में समग्र विकास हेतु कई तरह की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। एक पायलट परियोजना के अन्तर्गत लालढ़ांग सहकारी समिति को लैमनग्रास की सामूहिक सहकारी खेती करने को प्रोत्साहित किया गया। इस समिति में 19 गांवों में 1693 किसान हैं। इनमें से 377 सक्रिय सदस्य हैं। समिति का सदस्यता शुल्क कुल 11.44 लाख रूपया है। समिति के तहत 17700 परिवार और 88500 की जनसंख्या है। अभी तक लालढांग सहकारी समिति किसानों को ऋण उपलब्ध कराने, ग्रामीण बचत केन्द्र, कृषि इनपुट बिक्री और स्थानीय खरीद फरोख्त काम में सक्रिय रही है। सहकारी समिति की कृषि संबधी व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार हेतु समिति के बोर्ड द्वारा परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय उपज लैमनग्रास की सामूहिक सहकारी खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लेकर उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करके उसकी मूल्य श्रृंखला का विकास करने का निर्णय लिया गया। इस पायलट परियोजना के तहत लालढांग सहकारी समिति द्वारा लैमनग्रास की खेती की शुरूआत करके 02

आसवन इकाईयों की स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न सगंधित पौधों की आसवन प्रक्रिया की जा सकती है। लैमनग्रास भी उनमें एक है।

उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में दुर्गमता, कम उपज, सिंचाई की व्यवस्था न होना, उत्पादन प्रबंधन की कठिनाइयां, मजदूरों की कमी, विपणन, नेटवर्क और उद्यमिता की कमी जैसी कई मुख्य बाधाएं हैं। लालढांग क्षेत्र में इनके साथ ही हाथी समेत दूसरे जंगली जानवरों का खतरा, विपणन के लिए स्थानीय बड़े बाजारों का न होना, किसानों के पास फार्म मशीनरी की सुविधा न होना, कीटनाशकों, उर्वरकों, जैव उर्वरकों के उपयोग, मिट्टी की जांच के बारे में जागरूकता का अभाव और मजदूरी की मंहगी दरें जैसी अतिरिक्त चुनौतियां भी किसानों की परेशानी का कारण हैं।

लैमनग्रास की सामूहिक सहकारी खेती एवं आसवन

UKCDP एम.पैक्स के साथ सामूहिक खेती हेतु प्रयासरत है। यहां पर ज्यादातर सीमांत व छोटे किसान हैं। क्षेत्र की मुख्य फसलें धान, गेहूं, गन्ना और सरसों है। गैंडीखाता क्लस्टर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जून 2020–21 में कुल 37 एकड़ में निम्नानुसार लैमनग्रास की खेती की गई। सेलाकुई स्थित सगंध पौध केन्द्र इस सहकारी समिति को तकनीकी मदद कर रहा है। समिति ने यहां से 8.5 लाख पौधे खरीदे हैं। वर्ष 2020 में श्यामपुर गांव में 10 क्विंटल क्षमता की पहली आसवन इकाई स्थापित हुई। वर्तमान में 2 आसवन इकाईयां लग चुकी हैं। लैमनग्रास फसल की कटाई कर आसवन इकाई में उसका तेल निकालकर उसका मूल्यवर्धन किया गया। भविष्य मे 100 एकड़ में लैमनग्रास की खेती प्रस्तावित है।

क्र.स.	गांव	खेती का क्षेत्रफल एकड़ में
1.	श्यामपुर	13
2.	पीली पड़ाव	10
3.	कटेबड़	4
4.	रसोलपुर	2
5.	लाहरपुर	8
	कुल	37

लैमनग्रास की खेती के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि–

- यह क्षेत्र लैमनग्रास की फसल हेतु अनुकूल है।
- परिवहन व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि खरीदे गये पौधों में से 18.75 प्रतिशत पौधों का नुकसान हुआ है।
- लैमनग्रास की प्रति 10 क्विंटल फसल से 3 किग्रा. तेल प्राप्त हुआ। हालांकि सामान्यतया 5 किग्रा. तेल निकलता है।
- कटाई समय पर करना आवश्यक है।
- पौधों को समय पर सिंचाई एवं खाद देना जरूरी है।

- लैमनग्रास की तेज सुगंध ने किसानों की गन्ना, गेंहू जैसी खड़ी फसलों पर हाथियों के नुकसान को रोका है।
- यहां के किसान वर्तमान उत्पादन और लाभ को देखकर लैमनग्रास की खेती हेतु तैयार हैं।

लैमनग्रास सामूहिक खेती योजना के मुख्य बिंदु

- सामूहिक खेती हेतु भूमिधर किसानों का ही चयन किया गया है। जिनके पास भूमि नहीं है, उन किसानों को 11 साल की लीज पर भूमि लेनी होगी।
- समिति व चयनित किसानों के बीच एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के मुताबिक समिति किसानों को तकनीकी सहायता, आसवन सुविधा, रोपण सामग्री आदि उचित मूल्य पर देना सुनिश्चित करवाएगी। किसान अपनी फसल का आसवन एवं बिक्री सहकारी समिति के माध्यम से ही कराएंगे।
- कैप पहले सीजन की रोपण सामग्री व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।
- रोपण सामग्री व खेती की लागत किसान वहन करेंगे। कटाई के बाद किसान फसल को इकाई में लाऐंगे। आसवन प्रक्रिया में लगी श्रमिक लागत व प्रोसेसिंग फीस को किसान वहन करेंगे।
- तैयार मिंट ऑयल किसान स्वयं या समिति के माध्यम से विपणन शुल्क देकर बेच सकते हैं।
- प्रसंस्करण व विपणन शुल्क का निर्धारण समिति हर साल कटाई मौसम में तय करेगी।
- समिति किसानों को मनरेगा, कैप आदि संस्थानों द्वारा उपलब्ध सब्सिडी दिलाकर खेती की लागत कम करने की कोशिश करेगी।
- इस बिजनेस मॉडल में किसानों की जिम्मेदारी खेती कर तैयार फसल को आसवन यूनिट तक पहुंचाने की है।
- परियोजना के सफल संचालन हेतु सभी हितधारकों यथा सहकारी समिति के बोर्ड सदस्य, अनुश्रवण समिति के सदस्यों, सहकारी समिति सचिव, जिला नोडल अधिकारी, जिला सहायक निबंधक ए.डी.ओ. सहकारिता, UKCDP और कार्यक्रम निदेशालय सभी की जिम्मेदारियां कार्यक्रम निदेशालय स्तर पर तय की गई हैं।
- समिति की जिम्मेदारी आसवन इकाई की स्थापना, गुणवत्तापरक रोपण सामग्री, श्रमिक, तकनीकी सहायता, बाजार व सब्सिडी आदि को उपलब्ध कराना है।
- परियोजना के सफल संचालन हेतु सभी हितधारकों यथा सहकारी समिति के बोर्ड सदस्य, अनुश्रवण समिति के सदस्यों, सहकारी समिति सचिव, जिला नोडल अधिकारी, जिला सहायक निबंधक ए.डी.ओ. सहकारिता, UKCDP और कार्यक्रम निदेशालय सभी की जिम्मेदारियां कार्यक्रम निदेशालय स्तर पर तय की गई हैं।
- लैमनग्रास की सामूहिक खेती हेतु परियोजना द्वारा किसानों हेतु खेती का ''एक बीघा मॉडल'' तैयार किया गया है। इसमें अनुमानित 15 क्विंटल प्रति बीघा लैमनग्रास उगाने का लक्ष्य है। फसल की 3 बार कटाई होगी। बाजार में तेल की अनुमानित बिक्री दर 1000 से 2000 रू. प्रति किग्रा. है। यहां उल्लेखनीय है कि ज्यादातर किसान खेती स्वयं करके खेती में लगने वाली श्रम लागत को बचा लेते हैं। यदि ऐसा होता है तो किसानों का लाभ विश्लेषित संभावित लाभ से ज्यादा हो सकता है। यदि

एक किसान सिर्फ एक मौसम में 1 बीघा में लैमनग्रास लगाता है तो 5 वर्षीय तय विश्लेषण के अनुसार प्रति बीघा खेती की लागत 5 सालों में लगभग 1 लाख रू. होगी। प्रति बीघा हरे लैमनग्रास का वार्षिक उत्पादन लगभग 45 क्विंटल होगा। 5 सालों में प्रति बीघा किसान को कुल आय 1.20 से 1.45 लाख प्राप्त होगी तथा खेती से किसानों को होने वाला शुद्ध लाभ लगभग 20 से 25 हजार होगा। यदि खेती के दौरान मजदूरी किसान खुद करते हैं तो 5 सालों में प्रति बीघा लैमनग्रास की खेती की लागत 65–70 हजार रू. होगी एवं शुद्ध लाभ लगभग 50–55 हजार तक हो सकता है।

- समिति को होने वाले अनुमानित लाभ का भी विश्लेषण किया गया है। यदि सभी किसान तेल का आसवन समिति की ही यूनिट में कराकर तेल को प्रति किग्रा. रू0 1000–2000 की दर से बेचते हैं, तो समिति को 10 सालों में रू. 119 लाख शुद्ध लाभ होने की संभावना है।
- लेकिन यदि 85% किसान तेल का आसवन समिति यूनिट में करते हैं और तेल बिक्री दर रू. 1000–2000 है तो समिति का शुद्ध लाभ 10 सालों में रू. 141 लाख होने की संभावना है।
- यदि 60% किसान तेल का आसवन समिति यूनिट में करते हैं और तेल बिक्री दर रू. 1000–2000 के बीच है तो समिति का शुद्ध लाभ 10 सालों में रू. 82 लाख होने की संभावना है।
- समिति द्वारा आसवन इकाई स्थापित करने के लिए लिए ऋण वापसी का विश्लेषण बताता है कि परियोजना से समिति ने 14.6 लाख ऋण मांगा है। यदि समिति तय वार्षिक खेती और आसवन योजना के तहत काम करे तो वह 8 सालों में परियोजना से प्राप्त कर्ज को चुका पायेगी। विश्लेषण के अनुसार यदि प्रति किग्रा. तेल बिक्री दर रू. 1000–2000 के बीच होती है तो समिति वार्षिक किस्त चुकाने के बाद मिंट और लेमनग्रास व्यवसाय से अगले 8 सालों में 57 लाख रू. तक शुद्ध लाभ कमा सकती है।

परियोजना का संभावित प्रभाव

- किसान परती भूमि का उपयोग लैमनग्रास के लिए कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
- लैमनग्रास विपणन से किसानों की आसानी से बाजार तक पहुंच बनेगी।
- लालढांग समिति की यह पहल एक ब्रांडेड सगंधित तेल को बाजार में लेकर आएगी।
- लैमनग्रास के मूल्यवर्धन का किसानों को लाभ मिलेगा व समिति की अलग पहचान बनेगी।
- फसल की सुगंध से हाथी समेत अन्य जंगली जानवरों के आतंक से किसानों को मुक्ति मिलेगी।

ज्यादातर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न

1. इस योजना के लाभार्थी कौन और कैसे हो सकते हैं?

   सहकारी समिति से जुड़े सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई किसान समिति का सदस्य नहीं है, और इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह समिति में सदस्यता प्राप्त कर इससे जुड़ सकता है। इच्छुक किसान समिति द्वारा प्रस्तावित अनुबंध में अंकित नियम एवं शर्तों पर सहमति प्रदान कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

2. किसान खेती के लिए जड़ कहां से प्राप्त कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
   सहकारी समिति किसानों को जड़ प्राप्त करने में सहायता करेगी। राज्य में स्थित संस्थाएं जैसे सगंध पौध केंद्र तथा सीमैप के माध्यम से जड़ की खरीद की जाएगी एवं किसानों को बेची जाएगी। इन संस्थाओं के माध्यम से अनुदान की उपलब्धता भी समिति द्वारा किसानों को सुनिश्चित कराई जाएगी।
3. किसानों को खेती के लिए तकनीकी सलाह कौन देगा?
   समिति द्वारा तकनीकी संस्थाओं के माध्यम से समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4. कृषि इनपुट की खरीद कहां से की जा सकती है?
   इनपुट की खरीद समिति के माध्यम से की जा सकती है।
5. लैमनग्रास की फसल की खरीद कौन करेगा?
   लैमनग्रास के तेल की खरीद समिति करेगी। किसान हरे घास का आसवन समिति की आसवन इकाई में प्रोसेसिंग फीस देकर करेंगे एवं निकाले गए तेल को समिति में बेचेंगे। बाजार की दर के आधार पर किसानों को भुगतान किया जाएगा।
6. यदि किसान के पास स्वयं की जमीन नहीं है एवं वह इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो क्या प्रावधान होगा?
   किसान लीज पर भूमि लेकर एवं सहकारी समिति को 11 साल का लीज अनुबंध प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी हेतु किससे संपर्क करें?
   अधिक जानकारी के लिए सहकारी समिति के सचिव या ए.डी.ओ. (एरिया डवलपमेंट ऑफिसर) से संपर्क किया जा सकता है।